राजस्थान राज्य
मानव अधिकार आयोग
त्रैमासिक पत्रिका
A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
वर्ष-6 अंक : संयुक्तांक (अठारहवाँ) वर्ष : 2010-11 वि.सं. : 2066-67 बिक्री के लिये नहीं

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देश

(माह जुलाई, 2010 से मार्च, 2011 तक)

1. परिवाद संख्या-09/26/3022 में परिवादी श्री इन्द्रलाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार, जिला कोषागार शहर, जोधपुर को उनके रोके गये वेतन व एल.पी.सी. मय ब्याज का आयोग के आदेशानुसार रुपये 20,215.10 का भुगतान करवाया गया।

2. परिवाद संख्या-09/25/2188 में श्री नन्दलाल हरिजन, सफाई कर्मचारी, नगरपालिका, नागौर की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी परिवादिया श्रीमती विमला को नगरपालिका मण्डल, नागौर द्वारा बकाया भुगतान कर दिये जाने बाबत् अवगत कराया।

3. परिवाद संख्या-10/26/914 में परिवादिया श्रीमती उगिया देवी पत्नी स्व. श्री नैनाराम टांक, सोजत, जिला पाली द्वारा पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु प्रस्तुत परिवाद पर पेंशन प्रकरण का निस्तारण करा, पेंशन विभाग संशोधित पी.पी.ओ. एवं जी.पी.ओ. की अधिकृतियां जारी कराई गई।

4. परिवाद संख्या-10/05/1695 में बलात्कार पीडिता विधवा महिला, निवासी कवरली, जिला बाड़मेर द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण में पुलिस द्वारा राजीनामा करने का दबाव डालने की शिकायत पर आयोग के निर्देशों की पालना में एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अन्तर्गत चालान न्यायालय में पेश करवा कर पीड़िता श्रीमती लहरो देवी को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ने द्वारा 1,00,000/- रु. की राशि स्वीकृत कर तत्काल 50,000/- रु. की सहायता प्रदान की गई।

5. परिवाद संख्या-10/05/1358 में परिवादी पीर खां पुत्र शेर खां तेली, निवासी ग्राम सोहड़ा, जिला बाड़मेर द्वारा गोचर-भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत् प्रस्तुत परिवाद पर गोचर-भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया।

6. परिवाद संख्या-10/17/1501 में काम करने के उपरान्त तनख्वाह नहीं देने के सम्बन्ध में परिवादी शिवराज, अवधेश, राजेश आदि द्वारा प्रस्तुत सामूहिक परिवाद पर पांच-पांच हजार रुपये का भुगतान परिवादीगण को करवाया गया।

7. परिवाद संख्या-10/03/1994 में नागरिक जन संघर्ष मोर्चा, कुंजेड, जिला बारां द्वारा नामजद आरोपियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्यवाही कराने सम्बन्धी परिवाद में अभियुक्त ब्रजेश कुमार जाट व देवीशंकर धाकड़ के विरुद्ध धारा 376(2) ता.हि. के अन्तर्गत चालान पेश न्यायालय किया गया।

8. परिवाद संख्या-10/08/887 में कपिल कुमार, प्रवक्ता कम्प्युटर, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर के परिवाद पर परिवादी को उसके बकाया वेतन आदि का रुपये 134948.50 एवं रुपये 28,883.34 भुगतान करवाया गया।

9. परिवाद संख्या-06/29/3477 में सरपंच की मनमानी व हठधर्मिता से जल कनेक्शन नहीं देने सम्बन्धी शिकायत पर जिला कलेक्टर, सीकर ने आयोग के आदेश की पालना करा, परिवादी को जनता जल योजनान्तर्गत जल कनेक्शन जारी करवाया।

10. परिवाद संख्या-10/07/1651 श्रीमती तारा अहलूवालिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर पीड़िता गोपियां पुत्री मांगीलाल के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना माण्डलगढ़ में दर्ज प्रकरण में चालान पेश न्यायालय किया गया।

11. परिवाद संख्या-10/08/1692 में सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन दिलवाने हेतु गोविन्दसिंह, सचिव, राजस्थान एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय, रिटायर्ड टीचर्स सोसाइटी, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में राज्य सरकार से 3.00 करोड़ ऋण राशि स्वीकृत करा पेंशन जारी कराई गई।

12. परिवाद संख्या-10/15/761 में गांव व खेत के सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने बाबत् प्राप्त परिवाद में तलवाड़ा झील के चक 5 ट.एल. डब्ल्यू के प.नं. 224/288 से 222/287 तक लाईन को सीधा करने का रास्ता .038-.038 प्रत्येक किला में निशान लगाकर चारों तरफ से पैमाइश कर सम्पूर्ण रास्ते को खुलवाकर चालू करवाया गया।

13. परिवाद संख्या-10/17/1199 में सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. से सेवानिवृत्ति परिलाभ दिलाने बाबत् परिवादी श्री गोपाललाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में परिवादी को सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेच्युटी राशि 93, 455.00 रुपये का भुगतान कराया एवं उपार्जित अवकाश व वेतन वृद्धि ऐरियल राशि के 13,650/- रु. व 7080/- रु. का भुगतान कराया गया।

14. परिवाद संख्या-09/04/459 में रा.उ.प्रा.वि. काचरियापाडा जिला बांसवाड़ा को क्रमोन्नत करवाने बाबत् प्रस्तुत परिवाद में राज्य सरकार द्वारा रा.उ. प्रा.वि. काचरियापाडा को वर्ष 2009-10 में उ.प्रा.वि. से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।

15. परिवाद संख्या-10/22/2092 में परिवादी भंवरलाल पुत्र पूनाराम, निवासी करवड, तहसील मण्डोर, जोधपुर के बिजली के करण्ट से क्षतिग्रस्त हो जाने पर परिवादी भंवरलाल को 50,000/- रु. का भुगतान कराया गया।

16. परिवाद संख्या-08/26/2602 में परिवादी सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर, प.स. मारवाड जंक्शन, जिला पाली ने गांव में पीने के पानी की गम्भीर समस्या होने सम्बन्धी परिवाद में सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर आयोग ने आयोग के आदेशों की पालना कर बताया कि ग्राम जोजावर की पेयजल योजना के संवर्धन प्रस्ताव पर राशि 213.44 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

17. परिवाद संख्या-10/09/3317 में 6 एच.पी. कृषि कनेक्शन के लिए फाईल लगाकर डिमाण्ड राशि जमा करा दिये जाने के 6 माह उपरान्त भी कनेक्शन नहीं देने पर परिवादी भैरूलाल पुत्र श्योकरण मीणा, निवासी कोलाहेडा, जिला बून्दी के परिवाद में परिवादी को शीघ्र सर्विस कनेक्शन के आदेश जारी कराये गये।

18. परिवाद संख्या-09/16/3216 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाने बाबत् ग्राम टेलेवाला के ग्रामीणों से प्राप्त परिवाद पर आयोग के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा 17 छात्र-छात्राओं को टीएलएम छात्रवृत्ति वितरित की गई।

19. परिवाद संख्या-10/08/707 में परिवादी ईश्वरराम पुत्र नानूराम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सफाई कर्मी को बकाया समस्त परिलाभों का भुगतान कराने बाबत् प्राप्त परिवाद में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर द्वारा परिवादी को समस्त परिलाभों का भुगतान करा आयोग को अवगत कराया।

20. परिवाद संख्या-08/16/2598 एवं 09/16/245 में परिवादी मोहनलाल बंसल, कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन, उपखण्ड श्री करणपुर को उन्हें बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने सम्बन्धी परिवाद पर विभाग द्वारा परिवादी को पूर्ण बकाया वेतन बिल व वेतन स्थिरीकरण ऐरियर बिल का भुगतान किया गया।

21. परिवाद संख्या-10/01/2230 में परिवादी विवेक कुमार, सहायक कर्मचारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, अजमेर ने उसके कैन्सर पीड़ित पिता के ईलाज हेतु बजट आवंटन कराने हेतु पेश परिवाद पर आयोग के आदेशों की पालना पर विभाग द्वारा उपयुक्त बजट आवंटन किया गया।

22. परिवाद संख्या-10/30/3261 में परिवादी श्री सागर पुत्र राजाजी प्रजापति, निवासी डी-1 ख, हरे कृष्ण सोसायटी, वर्ना, अहमदाबाद को कुम्हार समाज के पंचों द्वारा समाज से बाहर कर अवैध जुर्माना वसूलने सम्बन्धी शिकायत पर आयोग के निर्देशों की पालना में आरोपी मुल्जिमान के विरुद्ध धारा 143,384, 149 ता.हि. के अन्तर्गत चालान न्यायालय में पेश किया गया एवं परिवादी को 18,000/- रु. का भुगतान कराया गया।

23. परिवाद संख्या 10/32/2710 में यशवन्त कुमार पुत्र श्री भंवरलाल सालवी, निवासी कूण, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर की विद्युत पोल पर हुई दुर्घटना में पीड़ित को ईलाज एवं क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने सम्बन्धी परिवाद पर परिवादी को लगभग 8,06,000/- (अक्षरे आठ लाख छः हजार रूपये मात्र) भुगतान कराया गया।

आयोग के माननीय अध्यक्ष/सदस्यगणों द्वारा आलोच्य अवधि में मानव अधिकारों के प्रति आमजन में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिये विचार विमर्श किया एवं जानकारी दी गई :-

1. दिनांक 08.10.2010 को जोधपुर में प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से आयेाग में लम्बित प्रकरणाों की जांच कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण बाबत विचार विमर्श किया।

2. दिनांक 10.10.2010 को जैतारण जिला पाली में किसान छात्रावास में नगरपालिका अध्यक्ष, पाषर्दगणों, प्रधान पंचायत समिति जैतारण, एवं छात्रों से मानव अधिकारों, पर्यावरण प्रदूषण रोकने, वृक्षारोपण के संबंध में।

3. दिनांक 15.10.2010 को बीकानेर में उप महानिरीक्षक (कमाण्डेन्ट) 10 आई.आर. व उनके अधिकारियों से।

4. दिनांक 16.10.2010 को महानिरीक्षण पुलिस, बीकानेर रेंज बीकानेर एवं पुलिस अधिकारियों से।

5. दिनांक 17.10.2010 को बीकानेर में श्री गुरमीत सिंह जी कुनर, मंत्री कृषि विपणन, जल संसाधन, राजस्थान सरकार से मानव अधिकारों सतथा किसानों की कृषि एवं सिंचाई संबंधि समस्याओं/व्यवस्था के संबंध में।

6. दिनांक 30.10.2010 को नगर पालिका बिलाडा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगणों एवं शहरवासियों से मानव अधिकारों, पर्यावरण प्रदूषण रोकने, वृक्षारोपण के संबंध में।

7. दिनांक 31.10.2010 को देवली (बिलाडा) गौ शाला का निरीक्षण किया एवं पशुपालकों, गो शाला समिति के सदस्यों

को मानव अधिकारों, गो रक्षा, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के संबंध में विचार विमर्श किया।

8. दिनांक 24.11.2010 को पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर का निरीक्षण किया। अधीक्षक, पी.बी. एम. अस्पताल, बीकानेर एवं अन्य चिकित्सकों से अस्पताल में रोगीयों की सुविधाओं एवं उपचार के संबंध में जानकारी ली।

9. दिनांक 11.12.2010 को बीकानेर में श्री नरेन्द्र बुढानियां, राज्य सभा सदस्य एवं अन्य राजनेताओं से मानव अधिकारों तथा किसानों व पशुपालकों की समस्याओं के संबंध में।

10. दिनांक 29.01.2011 को पुलिस थाना राणोली, जिला सीकर का आकस्मिक निरीक्षण किया। थानाधिकारी एवं उनके पुलिस अधिकारियों से मानव अधिकारों एवं पुलिस व्यवहार के संबंध में।

11. दिनांक 30.01.2011 को पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू का आकस्मिक निरीक्षण किया। थानाधिकारी एवं उनके पुलिस अधिकारियों से मानव अधिकारों एवं पुलिस व्यवहार के संबंध में।

12. दिनांक 24.02.2011 को जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, दौसा तथा उनके अधिकारियों से।

13. दिनांक 27.02.2011 को पुलिस लाईन बून्दी में एक दिवसीय आधारभूत मानवाधिकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

14. दिनांक 07.03.2011 को जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, बाडमेर तथा उनके अधिकारियों से।

15. दिनांक 08.03.2011 को महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर एवं पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर तथा उनके अधिकारियों से।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

10 दिसम्बर, 2010 को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोग द्वारा ओ.टी.एस. के पटेल भवन सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन, पूर्व सदस्य जस्टिस जगतसिंह, महानिदेशक कारागार श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, प्रो. सतीश शास्त्री, आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री पुखराज सीरवी एवं सचिव श्री रविशंकर श्रीवास्तव के अलावा राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु उप निरीक्षकों अन्य पुलिस अधिकारियों व टेगोर बी.एड. कॉलेज की छात्राओं, विद्वज्जनों एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आम जन में जागरूकता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता को अभियान के तौर पर चलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अध्यक्ष श्री पुखराज सीरवी, **सचिव** श्री रविशंकर श्रीवास्तव, महानिरीक्षक, पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।
सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर, फोनः 0141-2227738
E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in, www.justicenagendrakjain.com **Fax :** 0141-2227738

Book Post